न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 40/2022

दायर तारीख 16.06.2022

अनवान

1. बाबुलाल पुत्र नन्दा जाति भील उम्र बालिग, निवासी बरदिया (जागीर) तहसील मनासा जिला नीमच (म0प्र0)
2. भैरू पुत्र नन्दा जाति भील उम्र नाबालिग मार्फत वादमित्र एवं संरक्षक बालुलाल पुत्र नन्दा जाति भील उम्र बालिग निवासी बरदिया (जागीर) तहसील मनासा जिला नीमच (म0प्र0)

..... वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)।

.....प्रतिवादी

उपस्थित :– 01 श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादीगण
02 पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक :21/05/2025

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक राजस्व वाद **अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सिगे की बाद रिपोर्ट के वादपत्र दर्ज योग्य होने से वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी।

वादीगण के वादपत्र अनुसार मौजा भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा तहसील बिजौलियां स्थित कृषि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 101 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2002 के अभिलिखित खातेदार नाना, बरदा, मन्ना, घीसी, कन्या, गुलाबी पिता किसना भील, राजी धर्म पत्नी किसना, धन्ना भंवर हजारी पिता रोडा भील प्यारी नन्दू पिता रामा भील निवासी छतरी खेडा से वादीगण ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया। जिस पर जरिये काश्त के वादीगण का कब्जा है।

वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादीगण द्वारा क्रय भूमि कन्या पुत्री किसना 1/14, काली पत्नि भंवर लाल 1/84, गुलाबी पुत्री किसना 1/14, घीसी पुत्री किसना 1/14, धन्ना पुत्र रोडा 1/12 नन्दु पुत्री रामा 1/8, नानी पुत्री किसना 1/84, प्यारी पुत्री रामा 1/8, प्रभुलाल पुत्र भंवरलाल 1/84, बदामी पुत्री भंवर लाल 1/84, बरदा पुत्र किसना 1/14 मन्ना पुत्र किसना 1/14, राजी पत्नि किसना 1/14 रामस्वरूप पुत्र भंवर लाल 1/84 लाली पुत्री भंवर लाल 1/84 शम्भू लाल पुत्र भंवर लाल 1/84, हजारी पुत्र रोडा 1/12 सभी जाति भील निवासी छतरी खेडा के नाम खसरा नम्बर 100 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 101 रकबा 1.5783 कुल किता 2 रकबा 1.9992 हैक्टेयर से दर्ज है। जिन अभिलिखित खातेदारान से वादीगण ने भूमि क्रय जिन जिनकी मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान के नाम पर भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख की गयी।

विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2002 वादीगण द्वारा कुलिया भूमि क्रय करने के पश्चात् वादीगण क्रय भूमि के कब्जेधारी खातेदार है। वादग्रस्त खसरा नम्बरान की भूमि पर अभिलिखित खातेदारों का कब्जा नही है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

किन्तु प्रतिवादी के पास वादीगण ने विक्रय पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् वादीगण के खाते में भूमि दर्ज नही कर मृतक खातेदारों के उत्तराधिकारियों व जीवित विक्रेता खातेदारों के नाम दर्ज कर दी जबकि विक्रय के पश्चात् उनके कोई खातेदारी अधिकार व कब्जा वादग्रस्त भूमि में शेष नही रहा।

प्रतिवादी की तलबी के पश्चात् प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर केवल यह बचाव लिया कि वादीगण के पक्ष में हुआ विक्रय धारा 42 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अवहेलना से हुआ विक्रय है क्योंकि वादीगण जाति से भील है किन्तु वे राजस्थान से रहने वाले नही होकर मध्य प्रदेश के रहने वाले भील है। इसलिए वादीगण क्रय भूमि की खातेदारी पाने के अधिकारी नही है। क्योंकि धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विपरित भूमि उन्होने क्रय की है। इसलिए उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है।

वादीगण के वाद व प्रतिवादी के जवाब के आधार पर निम्न तनकीयान कायम की गयी :-

तनकी नम्बर 01 :-

आया वादीगण द्वारा मौजा भोपतपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 100 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा 0.4209 हैक्टेयर खसरा नं. 101 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा 1.5783 हैक्टेयर दिनांक 27.09.2002 को खातेदार नाना, बरदा, मन्ना, घीसी, कन्या, गुलाबी पिता किशना राजी स्व0 पति नाना, धन्ना भंवर पिता रोडा, प्यारी, नन्दु पुत्री रामा जाति भील निवासी छतरी खेड़ा के क्रय की गयी। विक्रय पत्र पंजीकृत से भूमि विक्रय वादीगण को होकर कब्जा दे दिये जाने से वादीगण से क्रय शुदा भूमि के खातेदार है।

तनकी नम्बर 02 :- –जिम्मेवादी

आया वादीगण का कब्जा जरिये विक्रय पत्र के होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण को काश्त करने से नही रोकने अवैध अतिचार नही करने व वादीगण को बैदखल नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।

तनकी नम्बर 03 :-

आया वादीगण का विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से प्रभावी होने से वादपत्र पोषनीय नही है।

–जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नम्बर 04 :-

अनुतोष।

यह कि प्रतिवादी ने विक्रय पत्र को स्वीकार किया है शेष कोई आपत्ति विक्रय पत्र धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध आपत्ति जवाब में विक्रय पत्र व वादीगण के कब्जे को व वर्तमान खातेदारों की स्थिति बाबत् कोई आपत्ति जवाब में कोई उसकी नही है। न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी पर प्रकरण तय करना है शेष बिन्दु दोनों पक्षों के स्वीकृत तथ्य होने से अन्य बिन्दू न्यायालय के समक्ष विचारणीय नही है।

पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वादीगण की और से बहस करते हुये विधिक प्रावधानों की और से बहस करते हुये विधिक प्रावधानों की और न्यायालय का ध्यान दिलाते हुये निवेदन किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 42(बी) में किसी अनुसूचित जनजाति खातेदार द्वारा अपनी ही जाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय करने पर रोक नही है। चाहे वह किसी भी राज्य का भील क्यों नही है। क्रेता एवंम विक्रता दोनों ही अनुसूचित जनजाति भील वर्ग से सम्बन्धित है। विक्रय पत्र पर दोनों की जाति भील अंकित है। प्रस्तुत जमाबन्दी में वादग्रस्त जायदाद के खातेदार भील दर्ज है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मध्य प्रदेश राज्य में भील वर्ग के व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के होना नोटीफाईड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) में यह वर्णित नही है कि अन्य राज्य के उन्हीं की जाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय करना वर्जित किया हुआ है।

राज्यों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी भारत सरकार की विज्ञप्ती द्वारा सूचीबद्ध किया हुआ है। उसी के आधार पर राजस्थान व मध्यप्रदेश में भील जाति को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखा गया है। संविधान के अनुसार संविधान आदेश 1950 से यह स्थिति स्पष्ट है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 05(37ए) में संविधान आर्डर 1950 का विवरण अंकित है।

वादीगण की और मध्य प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति की सूची प्रस्तुत की गयी जिसमें संविधान के अनुच्छेद 366(25) में जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया हैं अनुच्छेद 342 में परिभाषित अनुसूचित जनजाति के क्रम में मध्य प्रदेश में भील, भिलाला आदि को क्रम 07 पर रखा गया है।

इससे स्पष्ट है कि जो भूमि का विक्रय हुआ है व धारा 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अवहेलना नही है।

विक्रयपत्र वैध होने से वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित है। इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादी की और से की गयी बहस में निवेदन किया कि उनका जवाब ही बहस है।

न्यायालय द्वारा वादीगण की और से प्रस्तुत जाति के विश्लेषण से सम्बन्धित प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि दोनों ही राज्यों में भील जाति संविधान में दी गयी सूची अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(बी) में यह वर्जित नही है कि अन्य राज्य के अपने ही जाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय करना वर्जित किया गया हो।

– :: आदेश ::–

ऐसी स्थित में वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** में प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी अपने राजस्व अभिलेखों में विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2002 के आधार पर मौजा भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 100–101 कुल किता 02 रकबा 1.9992 हैक्टेयर कृषि भूमि का नामान्तरण खोल वादीगण को खातेदार के रूप में दर्ज अभिलेख करें। शेष बिन्दुओं के बाबत् प्रतिवादीगण की कोई आपत्ती नही है। इसलिए उसके विवेचन की आवश्यकता नही है।

निर्णय आज दिनांक 21/05/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 40 / 2022

दायर तारीख 16.06.2022

अनवान

1. बाबुलाल पुत्र नन्दा जाति भील उम्र बालिग, निवासी बरदिया (जागीर) तहसील मनासा जिला नीमच (म0प्र0)
2. भैरू पुत्र नन्दा जाति भील उम्र नाबालिग वादमित्र एवं संरक्षक बालुलाल पुत्र नन्दा जाति भील उम्र बालिग निवासी बरदिया (जागीर) तहसील मनासा जिला नीमच (म0प्र0)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. न सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)।

.....मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :- 21/05/2025
डिक्री दिनांक :- 21/05/2025

यह मुकदमा आज वास्तें इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री गिरधारीलाल आचार्य और प्रतिवादी पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** डिक्री किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2002 के आधार पर मौजा भोपतपुरा पटवार हल्का भोपतपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 100–101 कुल किता 02 रकबा 1.9992 हैक्टेयर कृषि भूमि का नामान्तरण खोल वादीगण को खातेदार के रूप में दर्ज अभिलेख किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री मूर्तिब हों। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपनां अपना वहन करेगें।

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....
बाबत् ..... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....
फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....
का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 05 वर्ष 2025 को जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा